- (ख) क्या स्वीकृति देने के लिये विधि-मंत्रालय से परामर्श लिया जाता है श्रौर स्वीकृति विधि मंत्र.लय के परामर्श के श्रनुसार दी जाती है श्रथवा उसके विपरीत भी श्रौर क्यों :
- (ग) ऐसे प्रायंना पत्न कितने हैं जो छः महीने से भी अधिक समय से विचारार्धान है और ऐसे प्रायंना पत्नों पर अभी तक निर्णय न करने के क्या कारण हैं:
- (घ) क्या कुछ ऐसे प्रार्थना पत्न श्रभियोग चलाने के लिये स्वीवृत्ति के लिये मंत्रालय के विचाराधीन हैं जो भूतपूर्व नरेशों के विरुद्ध उनके कुटुस्बीजनों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं; ग्रीर
- (ङ) ऐसे विचाराधीन मामलों का श्रीघ्र निपटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है भ्रथव करने का दिचार दिया जा यहा है?

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) (क) पांच।

- (ख) स्वृत्विति विधिम । लयके परामर्श से दी जाती है।
- (ग) एक मामला लग-ग छः महीने से विचाराधीन हैं। राष्य २ रक र से उनके मत की प्रतीक्षा है।
  - (घ) हां ऐसे दो ग्रावेदन पत्न हैं।
- (ङ) सम्बन्धित राज्य सरकारों को अपने मत भेजने के लिये याद दिलागा जा रहा है ।

## Drilling at Port Canning

Shri N. R. Laskar:
468. { Maharajkumar Vijaya
Ananda:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

 (a) whether actual drilling of the well near Port Canning area near Calcutta has been started;

- (b) if so the progress made in this direction; and
- (c) the total number of testing wells to be drilled in this area?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) No. Sir.

- (b) Does not arise
- (c) It is not possible to state the number at this stage.

## दिल्ली प्रशासन में हिन्दी

- 469 श्री नवल प्रभाकर: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति ग्रत्यन्त मन्द है : ग्रौर
- (ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं भ्रयवा उठाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) ग्रीर (ख) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन के सरकारी कार्यों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति पर एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है, [पुस्तकालय में रखा मया, देखिये संख्या एल टी-3450/64]। स्थिति का काफी विस्तार से पुनरावलोकन किया गया है ग्रीर इस दिशा में तेजी लाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

## Cases Pending in Punjab High Court

470. Shri Daljit Singh: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the number of cases pending in the Punjab High Court at Chandigarh as on the 1st October, 1964?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): The information is being obtained and will be laid on the Table of the House.